(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 111/2018

बउनवान

1– संतोष पुत्री बृजमोहन माता नारायणी बाई जाट निवासी सारथल तह0 छीपाबड़ौद
2–रामावतार पुत्र बृजमोहन माता नारायणी बाई जाट निवासी सारथल तह0 छीपाबड़ौद
3– सुनिता पुत्री बृजमोहन माता नारायणी बाई जाट निवासी सारथल तह0 छीपाबड़ौद
4– प्रदीप पुत्र बृजमोहन माता नारायणी बाई जाट निवासी सारथल तह0 छीपाबड़ौद
5– अनिता पुत्री बृजमोहन माता नारायणी बाई जाट निवासी सारथल तह0 छीपाबड़ौद

(अपीलांटगण)

बनाम

1– फतेहसिंह उर्फ गिर्राज पुत्र बद्रीलाल जाट निवासी ग्राम सारथल तह0 छीपाबड़ौद
2– पटवारी पटवार हल्का सारथल तह0 छीपाबड़ौद
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद
4– भूमि अवाप्ति अधिकारी, छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व आदेश इन्तकाल नं. 750 दिनांक 18.11.1995 तहसीलदार छीपाबड़ौद एवं इन्तकाल नं0 1132 दि. 24.08.2007 तहसीलदार छीपाबड़ौद के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री जगदीश सिंह अभिभाषक क्रम 1 (रेस्पोडेन्ट)
3– उपस्थित पेरोकार सरकार क्रम 2 ता 4

निर्णय दिनांक 24.07.2020

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इन्तकाल नं. 750 दिनांक 18.11.95 एवं इन्तकाल नं. 1132 दिनांक 24.8.2007 ग्राम सारथल तहसील छीपाबड़ौद से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

यह कि विवादग्रस्त कृषि आराजी ग्राम सारथल तहसील छीपाबडोद जिला बारॉ मे स्थित है जिसके कि खसरा नं. 70 रकबा दो बीघा छः बिस्वा, खसरा नं. 71 रकबा बाईस बीघा तीन बिस्वा, खसरा नं. 175 रकबा दस बीघा सोलह बिस्वा, ख.नं. 176 रकबा सात बिस्वा, ख.नं. 193 रकबा तेरह बिस्वा, खसरा नं. 194 रकबा एक बीघा तीन बिस्वा, खसरा नं. 776 रकबा पाँच बीघा नौ बिस्वा, खसरा नं. 779 रकबा चार बीघा सत्रह बिस्वा, खसरा नं. 780 रकबा पाँच बिस्वा, खं नं. 795 रकबा दस बिस्वा, ख. नं. 796 रकबा आठ बिस्वा, ख. नं. 797 रकबा एक बीघा दस बिस्वा, ख.नं. 803 रकबा एक बीघा चार बिस्वा, ख.नं. 804 रकबा तेरह बिस्वा, कुल किता सोलह ख. नं. कुल रकबा 56 बीघा है। इस विवादग्रस्त कृषि आराजी के मूल खातेदार छोटीबाई बेवा मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम सारथल है जिनका देहान्त हो चुका है। मूल खातेदार छोटीबाई ने कोई वसीयत दि. 4.5.95 को रेमाबाई पत्नी हरिबल्लभ जाति जाट को नहीं की गई है। इस कृषि भूमि की खातेदार छोटीबाई के नाम से एक फर्जी वसीयत रमादेवी पत्नी हरिबल्लभ के नाम से दि. 4.5.95 को तैयार की गई फर्जी गवाहान तैयार किये गये तथा वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर दस्तखत व अगूँठा वसीयतकर्ता छोटीबाई के नहीं कराये गये तथा बिना वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कुप्रभाव में लेकर इस फर्जी वसीयत के माध्यम से इन्तकाल नं. 750 रमादेवी पत्नी हरिबल्लभ जाति जाट के नाम से इन्तकाल खोल दिया गया और बाद में फर्जी वसीयत के आधार पर इन्तकाल नं. 1132 में अपीलांट क्रम 1 फतेहसिंह ने उपरोक्त मद नं. 1 में वर्णित कृषि भूमि के साथ–साथ अन्य कृषि भूमि ग्राम सारथल तह0 छीपाबड़ौद की ख.नं. 919 रकबा पन्द्रह बिस्वा, ख.नं. 920 रकबा सात बीघा, ख.नं. 921 रकबा आठ बिस्वा, ख.नं. 1401 रकबा एक बीघा छः बिस्वा, ख.नं. 1402 रकबा एक बीघा एक बिस्वा, ख.नं. 1810/1405 रकबा दो बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:39:35 IST
Reason: SelfAttested

को इन्तकाल नं. 1132 के माध्यम से अपने नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया है। इस भूमि की मूल खातेदार छोटीबाई बेवा मदनलाल एवं रमादेवी पत्नी हरिबल्लभ का देहावसान हो चुका है। मूल खातेदार छोटीबाई ने कोई वसीयत दि. 4.5.95 को रेमाबाई पत्नी हरिबल्लभ या अन्य किसी के नाम नहीं की और न ही वसीयतनामा 4.5.95 में छोटीबाई बेवा मदनलाल का कोई हस्ताक्षर या अंगूठा चस्पा नहीं है। जिसकी वजह से मूल खातेदार छोटीबाई का स्वर्गवास निर्वसीयत हुआ है, उनके स्वर्गवास पश्चात् कथित फर्जी वसीयतनामा दिनांक 4.5.95 के माध्यम से रमादेवी के नाम से खोला गया नामान्तरकरण नं. 750 नोन अपीलांट क्रम 2 व क्रम 3 के द्वारा खोला गया इन्तकाल खारिज फरमाया जावे तथा उसके बाद के खोले गये नामान्तरकरण नं. 1132 भी खारिज फरमाया जावे। नामान्तरकरण नं. 750 रमाबाई पत्नी हरिबल्लभ जाति जाट के नाम से खोला गया था, रमाबाई का देहान्त हो चुका है। रमाबाई ने भी कोई वसीयत नोन अपीलांट क्रम 1 के नाम उपरोक्त मद नं. 1 व मद नं. 2 में वर्णित कृषि भूमि की नहीं की गयी है। अतः रमाबाई के नाम से फर्जी वसीयत के आधार पर खोला गया इन्तकाल नं. 1132 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय की पालना फरमा कर उसे भी खारिज फरमाया जाकर पुनः मद नं. 1 में वर्णित कृषि भूमि छोटीबाई बेवा मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम सारथल के नाम एवं मद नं 2 में वर्णित कृषि भूमि में से नोनअपीलांट क्रम 1 का नाम निरस्त फरमा कर एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित फरमाकर सही वसीयत के आधार पर एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की पालना फरमा कर अपीलांट के नाम इन्तकाल खोला जावे। रमादेवी पत्नी हरिबल्लभ ने प्रामाणिक अन्तिम वसीयत अपीलांट के नाम की है। छोटीबाई के खोते की कृषि भूमि का नामान्तरकरण एवं रमादेवी की खाते की कृषि भूमि निर्वसीयत होने के कारण उनके समस्त वारिसान में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत खोले जाने के आदेश फरमाया जावे। नोन अपीलांट क्रम 1 फतेहसिंह का नाम खाता जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में मद नं 1 में वर्णित कृषि भूमि नामान्तरकरण नं. 1132 के माध्यम से खोला गया है, जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय कोटा ने भी अपने निर्णय आदेश दि. 3.11.10 के माध्यम से खारिज कर दिया है। इन्तकाल नं. 1132 भी अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय से खारिज किया जा चुका है, अतः इस वजह से भी मद नं 1 में वर्णित कृषि भूमि पुनः मूल खातेदार छोटीबाई बेवा मदनलाल जाति जाट एवं रमादेवी पत्नी हरिबल्लभ जाति जाट निवासी ग्राम सारथल के नाम दर्ज किया जाकर इस विवादास्पद कृषि भूमि का नामान्तरकरण निर्वसीयत होने की वजह से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट जो कि छोटीबाई एवं रमादेवी के वारिसान है उनके नाम नामान्तरकरण खोला जावे। नोन अपीलांट क्रम 1 फतेहसिंह का नाम इन्तकाल नं. 1132 खारिज होने एवं मूल खातेदार छोटीबाई एवं रमादेवी के निर्वसीयत देहान्त होने से फतेहसिंह का नाम जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में से निरस्त फरमाया जावे। उसके बाद खोले गये नामान्तरकरण नं. 1132 भी खारिज फरमाया जावे। अपीलांट को इस फर्जी इन्तकाल की जानकारी तब पता चली जब अपीलांट ने इंतकाल नं. 1132 को निरस्त करने की कार्यवाही नोनअपीलांट क्रम 2 व क्रम 3 के यहाँ की तो उन्होंने अपीलांट से पुराने इंतकाल की नकलें एवं राजस्व रिकार्ड की नकलें लाने के लिए कहा तो अपीलांट ने नोनअपीलांट क्रम 2 से सम्पर्क किया। अपीलांट को इस फर्जी इंतकाल नं. 750 की जानकारी प्रथम बार दि. 6.7.18 को तब पता चली जब अपीलांट ने नोन अपीलांट क्रम 2 व क्रम 3 से सम्पर्क करके फर्जी वसीयतनामा दिनांक 4.5.95 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब पता चला कि वसीयतनामा पर मूल खातेदार छोटीबाई के कोई हस्ताक्षर या अंगूठा चस्पा नहीं है। जिसकी वजह से वसीयतनामा स्वतः शून्य एवं निष्प्रभावी हो गया है और इसके आधार पर खोला गया इन्तकाल नं. 750 व उसके पश्चात्वर्ती इन्तकाल नं. 1132 भी खारिज योग्य है। इंतकाल नं. 750 की अपील इंतका[illegible] प्रथम बार दिनांक 6.7.18 को वसीयत की प्रमाणित प्रति मिलने से फर्जी [illegible] जानकारी मिलने एवं फर्जी वसीयत के आधार पर खोला गया इंतकाल नं. 75[illegible] जानकारी मिलने पर अपील इंतकाल मियाद कन्डोन करने के [illegible] अपील मियाद अवधि में प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:39:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलांट अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि :–

1– इंतकाल नं. 750 जो कि अवैध रूप से दिनांक 18.11.95 को खोला गया है उसे खारिज फरमाया जावे।

2– इंतकाल नं. 750 खारिज फरमा कर पूर्व स्थिति में जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में छोटीबाई बेवा मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम सारथल का नाम अंकित किया जाकर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार अपीलांट वारिसान होने के कारण उनके नाम नया इंतकाल खोला जावे।

3– न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा ने भी अपने निर्णय से नोन अपीलांट क्रम 3 के द्वारा दिया गया निर्णय से खोला गया इंतकाल नं. 1132 खारिज कर दिया गया है एवं पश्चात्वर्ती इंतकाल होने से भी इंतकाल नं 1132 खारिज फरमाया जाने के आदेश नोन अपीलांट क्रम 2 व क्रम 3 को दिये जावे।

अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 09.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इन्तकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल की शुद्ध प्रतिलिपि इस न्यायालय मे भिजवायी गयी। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी. प्रस्तुत किया गया जिसकी एक प्रति अपीलांट के अभिभाषक को तकसीम की गई। उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अभिभाषक को दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर परिणाम स्वरूप उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रकरण में इसके पश्चात् अन्तिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि छोटीबाई बेवा मदनलाल के खाते की आराजी कुल 16 किता 56 बीघा आराजी थी। फर्जी वसीयत दिनांक 4.5.1995 को तैयार कर छोटीबाई के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी के बिना ही उक्त अवैध अमान्य वसीयत के आधार पर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारी से मिल–भगत कर रेमाबाई ने अपने पक्ष में नामान्तरण सं. 750 दिनांक 18.11.1995 से छोटीबाई की आराजी अपने खाते दर्ज करवा ली। अवैध शून्य नामान्तरण सं 750 से दर्ज आराजी को रमाबाई उर्फ रेमाबाई ने फतेहसिंह के वसीयत की, फतेहसिंह ने नामान्तरण सं. 1132 से दिनांक 24.8.2007 से अपने नाम खाते दर्ज करवा ली। फतेहसिंह ने मृतका छोटीबाई के खाते की आराजी को हड़पने के लिए छोटीबाई की फर्जी वसीयत से रमाबाई उर्फ रेमाबाई के नाम करवाई। रेमाबाई स्वयं की आराजी एवं फर्जी वसीयत से दर्ज छोटीबाई की आराजी को हड़पने के लिए फतेहसिंह ने फर्जी वसीयतनामा बनवाकर, मृतका रेमाबाई के खाते की आराजी को अपने नाम नामान्तरण सं. 1132 से अपने नाम खाते दर्ज करवा लिया। दोनों वसीयतें फर्जी है। फर्जी वसीयतों के सामने नामा0 सं. 750, 1132 अवैध शून्य होने से निरस्तनीय है। दुर्व्यपदेशन एवं धोखाधड़ी से अर्जित अधिकारों को बचाने के लिये दीर्घकाल बाधित नहीं है। इसके लिये रूलिंग आर.बी.जे. 2007 पेज नं0 492 एवं आर. एल.डब्ल्यु 2006 (1) एवं आर.जे. पेज नं0 11 सरकार बनाम उदा आदि है।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि विवादित आराजी की पूर्व स्वामी छोटीबाई थी, जिसने 4.5.1995 को रेमाबाई के नाम वसीयत की तथा उनकी मृत्यु के बाद इन्तकाल नम्बर 750 से उक्त आराजी रमाबाई के नाम आई है। छोटीबाई की आराजी वसीयत के आधार पर रेमाबाई के खाते दर्ज हुई तथा रेमाबाई ने दिनांक 19.3.1998 को नारायणी बाई जो अपीलांट की माँ है के नाम पर करी तथा नारायणी बाई की सेवा से असन्तुष्ट होकर रेमा बाई ने दूसरी वसीयत 20.6.1998 को फतेहसिंह के नाम पर करी। जिससे रेमाबाई की मृत्यु के बाद इन्तकाल नम्बर 1132 से उक्त आराजी फतेहसिंह के खाते दर्ज हुई। अपीलांट द्वारा छोटीबाई द्वारा दिनांक 4.5.1995 को रेमाबाई के नाम पर की गई वसीयत को वैध मानते हुए रेमा बाई उक्त आराजी की खातेदार बनी तथा रेमाबाई द्वारा दिनांक 19.3.1998 को नारायणी बाई के नाम पर की गई वसीयत के आधार पर सन् 2010 में एस.डी.एम कोर्ट, छीपाबड़ौद मे घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है तथा अग्रिम तारीख पेशी 7.9.2020 नियत है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद दि. 20.8.2018 को वास्ते घोषणा व निषेधाज्ञा का न्यायालय ए.सी.जे.एम. छीपाबड़ौद में पेश किया जो जैरकार है तथा इसी नेचर की अपील श्रीमान् के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिससे एक जैसा अनुतोष अपीलांटगण दो न्यायालय से नहीं ले सकते, जिससे अपील स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील खारिज फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:39:35 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस, पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारिवारिक शजरा का सम्यक् रूप से अध्ययन किया गया। प्रकरण मे सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारों के मध्य पूर्व मे भी विभिन्न वाद संस्थित/निर्णित हो चुके हैं ओर वर्तमान मे भी जैरकार हैं। पत्रावली के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् इस न्यायालय को यह संज्ञात होता है कि विवादित बिन्दु मात्र नामान्तरकरण की प्रोसिडिंग/दर्ज किए जाने का ना होकर, खातेदारी अधिकारों के निर्धारण का है। अपीलांट के लिये यह आवश्यक है कि वह पारिवारिक शजरे के आधार पर आराजी के पैतृक होने, किसी प्रकार के वादकरण के लिये उनका LOCUS STANDI सिद्व करने तथा विवादित आराजी में उनके खातेदारी अधिकार किस प्रकार प्रोद्भूत हो रहे हैं इत्यादि बिन्दुओं को दस्तावेजी/अन्य साक्ष्यों से साबित करें। इसके लिये प्रकरण का सक्षम न्यायालय मे विचारण होना आवश्यक हैं। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कही गई रूलिंग इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

अतः यह न्यायालय प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित नहीं करते हुए अपील अपीलांट इस आशय के साथ खारिज करता है कि अपीलांट प्रथमतः सक्षम विचारण न्यायालय मे युक्तियुक्त रूप से अपने खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा का निर्धारण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:39:35 IST
Reason: SelfAttested